

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
विन्याचल मण्डल, मीरजापुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एन०ओ०सी०/

/2014-15 दिनांक २-८-१५

विषय— विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल कौड़ियाकला, अदलहाट, मीरजापुर को
सी०बी०एस०ई०बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया
जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1916 / 15-7-09-1(299) / 2007 शिक्षा (7) अनुभाग, दिनांक 14-7-2009 द्वारा प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी०बी०एस०ई० तथा आई०सी०एस०ई०बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उ०प्र०शासन के उक्त आदेश के अनुसार जनपद मीरजापुर में स्थित संस्था विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल कौड़ियाकला, अदलहाट, मीरजापुर के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 31.07.2014 को विचार किया गया। विद्यालय को सी०बी०एस०ई०बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने से समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है—

- 1— विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
- 2— विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3— विद्यालय में कम से 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेंदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कहाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से गान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5— संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे और इनके वेतनादि का भुगतान नियमानुसार बैंक के माध्यम से किया जाय।
- 6— कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानैवृत्तिक-लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।
- 8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित घणिकाओं में रखा जायेगा।

Principal
Vidya Sanskar Public School
Kauriya Kala Adalhat, Mirzapur

Chairman
Vidya Sanskar Public School